विवरणिका

B.A. B.Sc. B.Com

पूर्णोदय महिला महाविद्यालय

कैम्पस : बच्छाँव, वाराणसी

फोन : 0542-2670065

Mobile : 7376161242
Email : info@pmcollege.co.in
Visit us : www.pmcollege.co.in

डा. अनिल तिवारी

प्रबन्धक

वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ

"विद्या ददाति विनयम्"

महाविद्यालय : एक संक्षिप्त परिचय

पूर्णोदय महिला महाविद्यालय पूर्णतः नारी शिक्षा के प्रति समर्पित एक गौरवपूर्ण संस्था है। इसी भावना से ओत-प्रोत होकर सन् 2012 में स्थापित हुई एवं सन् 2016 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त यह महिला महाविद्यालय वाराणसी अंचल के प्राचीन शूलटंकेश्वर मन्दिर मार्ग पर स्थित है। यह महिला महाविद्यालय प्रसिद्ध समाजसेवी व नेत्र सर्जन डा. अनिल तिवारी द्वारा नारी शिक्षा हेतु समर्पित है तथा यह महिला महाविद्यालय महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध है।

21वीं सदी निश्चित रूप से महिलाओं की सदी है। पढ़ी-लिखी महिला आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि महिला-शिक्षा से ही हम समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं भ्रष्टाचार जैसे दानवों को नष्ट करने में सफल हो सकते हैं।

महिलाओं की शिक्षा द्वारा ही सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चों पर विजयश्री प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्णोदय महिला महाविद्यालय की स्थापना की गयी। जिससे महिला शिक्षा की पूरे भारतवर्ष में जल रही महा मशाल में एक मशाल और जुड़ सके तथा नारी-शिक्षा को और अर्थवान बनाने में यह महाविद्यालय अपना समग्र योगदान कर सकें।

इस महाविद्यालय में कला एवम् वाणिज्य संकाय में शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय में कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, राजनिति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में बी.काम. के पठन-पाठन की व्यवस्था है।

महाविद्यालय में छात्राओं के शिक्षण एवं मार्ग-निर्देशन के लिए योग्य, कर्मठ एवं अनुभवी शिक्षक कार्यरत है। छात्राओं के लिए सुव्यवस्थित अध्यापन कक्षाओं, खेलकूद का मैदान, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है।

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र एवं समुचित विकास के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, निबन्ध एवं कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

महाविद्यालय के पास लगभग 20 कक्षों का विशाल भवन है। अध्यापन कक्षों के अतिरिक्त विभागीय कक्षों तथा प्रयोगात्मक विषयों के लिए प्रयोगशालाओं की पृथक्-पृथक् व्यवस्था है।

पुस्तकालय में एक वाचनालय की भी व्यवस्था है। इसमें दैनिक समाचार-पत्रों के साथ-साथ साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रिकाएँ उपलब्ध रहती है, जिनसे छात्र नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

विशेष सूचनायें

1. प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय में स्थान सीमित है।
2. प्रत्येक वर्ग की प्रथम वर्षीय कक्षाओं में विषयक-प्रवेश समिति के निर्देशानुसार दिये जायेंगे।
3. विषय परिवर्तन की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जा सकेगी।
4. यदि वर्तमान सत्र तक शिक्षा-निरन्तरता में दो वर्ष का अन्तराल है तो ऐसे छात्र के प्रवेश के लिए प्राचार्य की अनुमति के साथ अन्तराल के कारण को शपथ-पत्र प्रस्तुत करने तथा कक्षा में स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नवीन छात्रों को नामांकन शुल्क भी आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
6. यदि छात्र सत्र के बीच में अध्ययन छोड़ना चाहता है तो उसकी सूचना कार्यालय को लिखित रूप में तुरन्त दें।
7. 15 दिन तक कक्षाओं में बिना अनुमति के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् पुनःप्रवेश स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. महाविद्यालय परिसर में साइकिल स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थान पर वाहन खड़ा न करें।
9. शुल्क जमा करने के बाद छात्र स्वयं पहल करके अपने विषय या प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित अध्यापकों को अपना नाम लिखायेंगे। एतदर्थ प्रवेश अधिकारी द्वारा विषयांकित कार्ड दिखाना होगा।
10. छात्र प्रवेश के समय परिचय पत्र बनवा लें। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में भ्रमण निषिद्ध है।

अध्ययन विषय

कला संकाय

बी.ए. प्रथम वर्ष : विषय

(1) हिन्दी (2) समाजशास्त्र (3) गृह विज्ञान (4) संस्कृत (5) राजनीतिशास्त्र
(6) मनोविज्ञान (7) इतिहास (8) अंग्रेजी (9) भूगोल (10) शिक्षा शास्त्र।

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम - प्रथम वर्ष : विषय

(1) व्यवसायिक सम्प्रेषण एवं संचार (2) व्यवसायिक सांख्यिकी (3) वित्तीय लेखांकन
(4) व्यवसायिक नियमन रूपरेखा (5) व्यवसायिक अर्थशास्त्र (6) व्यवसायिक पर्यावरण

विज्ञान संकाय

बी.एस-सी. - प्रथम वर्ष : विषय

(1) जीव विज्ञान (2) वनस्पति विज्ञान (3) रसायन विज्ञान (4) भौतिक विज्ञान (5) गणित

विद्यार्थियों द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु विशेष नियम

(क) आचार संहिता

1. छात्र को नियमित कक्षाओं में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में शान्ति बनाये रखें।
3. साईकिल स्टैण्ड पर ही वाहन खड़ा करें, कॉलेज के मुख्य द्वार पर अथवा कॉलेज परिसर में अन्यत्र नहीं।
4. छात्रों की वेश-भूषा स्वच्छ एवं महाविद्यालय के नियमानुसार होनी चाहिए।
5. सूचना पट पर ही छात्र सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदर्शित की जायेंगी, उनको पढ़े।
6. किसी भी दशा में कॉलेज की व्यवस्था भंग न की जाये, कॉलेज की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाये।
7. छात्र किसी को हड़ताल के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और न स्वयं ही हड़ताल में भाग लेंगे।
8. छात्र कॉलेज में कोई हैण्डबिल, पेम्पलेट आदि न तो वितरित करेंगे और न किसी कार्य हेतु चन्दा एकत्रित कर सकेंगे।
9. राष्ट्र के किसी भी प्रतीक चिन्हों का अपमान निष्कासन का कारण माना जायेगा।
10. छात्र किसी जाति, धर्म, प्रान्त, राजनीतिक दल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वे मानवता और मानव-प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
11. महाविद्यालय परिसर का कोई भाग में छात्र पोस्टर चिपकाने तथा लिखने के लिए प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
12. छात्र अपना परिचय-पत्र महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के बाहर हर समय अपने साथ रखेंगे तथा किसी अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेंगे।
13. अन्य संस्थाओं के छात्रों अथवा अवांछनीय तत्त्वों का महाविद्यालय में आना तथा लाना वर्जित है।
14. खोई हुई वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त कार्यालय प्रभारी के पास जमा कर देंगे।
15. स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस पर आयोजित समारोहों में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

(ख) चरित्र प्रमाण-पत्र

1. चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वह छात्र है जो महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह की अध्ययन अवधि पूर्ण कर चुका है।
2. छः माह में केवल एक बार ही कोई छात्र चरित्र प्रमाण-पत्र ले सकता है।

(ग) कार्यालय नियम

छात्रों को सामान्यतः प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कार्य दिवस में कार्यालय सहायक से सम्पर्क करने की अनुमति है। इसके पश्चात् अनुमति लेकर ही मिलें।

(घ) अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन का कार्य अनुशासन अधिकारी की देखरेख में अनुशासन विभाग द्वारा होता है। महाविद्यालय के अनुशासन नियमों का पालन प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। अनुशासन अधिकारी छात्रों को विद्यालय के अतिरिक्त छात्रावास, खेल के मैदान एवं खेल विभाग तथा शहर में किये गये आचरण पर भी निर्णय और निर्देश देने के अधिकारी है।

विशिष्ट योजनाएँ

(क) अध्ययन सहभागी योजनाएँ

पुस्तकालय एवं वाचनालय के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं–

1. सत्र के आरम्भ में प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय में अपनी फीस रसीद तथा परिचय पत्र जमा कर दो पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को दीजिए। डुप्लीकेट कार्ड 20/- रुपये जमा करने पर बना दिया जायेगा। पूर्व कार्ड पर यदि कोई छात्र पुस्तक ले गया हो तो उसकी जिम्मेदारी धारक छात्र की होगी।
2. पुस्तकालय से पुस्तक, पुस्तकालय के कार्ड पर केवल 15 दिन के लिए पढ़ने को मिलती है। इस अवधि के बाद पुस्तक लौटाने पर विलम्ब शुल्क लगता है। जिसकी दर 1 रूपया प्रतिदिन है। यह विलम्ब शुल्क माफ नहीं किया जा सकता है।
3. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों आदि की सुरक्षा का दायित्व ग्रहीता विद्यार्थी पर ही होगा। अतः पुस्तक लेते समय उसे खोलकर देख लें कि कहीं कोई पृष्ठ गायब या फटा तो नहीं है। लौटाते समय अपूर्ण या फटी हुई पुस्तक स्वीकार नहीं होगी।

4. विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व पुस्तकें लौटाना अनिवार्य है।
5. पुस्तकालय कार्ड वर्ष के अन्त में पुस्तकालय को लौटाना अनिवार्य होगा।
6. पत्र-पत्रिकाएँ तथा गहन अध्ययन कक्ष में अध्ययन हेतु पुस्तकें, परिचय-पत्र जमा करने पर प्राप्त हो सकेंगी। कोई छात्र बिना अनुमति के पुस्तक या पत्रिकाएँ बाहर नहीं ले जा सकेगा।
7. पुस्तकालय कार्ड अहस्तान्तरणीय है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी उत्तरदायी होने के साथ दण्ड के भी भागी होंगे।

(ख) क्रीड़ा

महाविद्यालय में वॉलीबाल, बास्केटबाल, खो-खो, बैडमिण्टन, एथलेटिक्स तथा टेबिल टेनिस खेलों का समुचित प्रबन्ध है। अच्छे खिलाड़ियों को ड्रेस इत्यादि की सुविधा दी जाती है।

1. यदि कोई छात्र किसी ऐसे खेल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, जो खेल कालेज तथा विश्वविद्यालय में नहीं होता तो उस छात्र के प्रार्थना पर क्रीड़ा समिति उसे प्रोत्साहन देने के लिए कोई उचित पुरस्कार देने की संस्तुति कर सकती है।
2. विश्वविद्यालय टीम के लिए चयन किये गये खिलाड़ियों तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं पूर्ण ट्यूशन फीस तथा द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की आधी ट्यूशन फीस माफ की संस्तुति की जा सकती है। क्रीड़ा विभाग का संचालन प्राचार्य द्वारा नियुक्त क्रीड़ा समिति द्वारा किया जाता है। कप्तान एवं खिलाड़ियों का चयन महाविद्यालय के नियमों के अधीन किया जायेगा जो क्रीड़ा विभाग में उपलब्ध है।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के सामान्य नियम

1. स्नातक प्रथम वर्ष में कला, एवं वाणिज्य की कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस प्रकार होगी–
   (क) बी.ए. भाग एक : इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि वर्ग)
   (ख) बी.काम. भाग एक : इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (वाणिज्य, विज्ञान वर्ग)
   (ग) बी.एस-सी. भाग एक : इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (विज्ञान वर्ग)
2. प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित धनराशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में आवश्यक सूचना एवं निर्देश विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय से तथा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3. प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र संख्या पहले से ही निर्धारित है। किसी भी स्थिति में निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
4. अलग-अलग संकायों/कक्षाओं में प्रवेश हेतु अलग-अलग प्रवेश आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी महाविद्यालय के किसी संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत प्रवेश आवेदन-पत्र को किसी भी स्थिति में अन्य संकाय/कक्षा के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त महाविद्यालय के किसी एक संकाय/कक्षा में प्रवेश के लिए जमा शुल्क उसी महाविद्यालय के किसी अन्य संकाय में अथवा किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु समायोजित नहीं किया जायेगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी प्रथम वर्ष की कक्षा में दो वर्ष के अन्तराल वाले अभ्यर्थियों को नोटरी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र के साथ प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पहले वर्ष 2 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष 5 प्रतिशत उसके प्राप्तांकों के योग से कटौती की जायेगी। जाँचोपरान्त तथ्य गलत सिद्ध होने पर सम्बन्धित छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. जो अभ्यर्थी स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दिया है, वह अन्तिम वर्ष एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा देगा।
7. किसी भी कक्षा में प्रवेश प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त प्रवेश अथवा प्रवेश नियमों के विपरीत हुआ प्रवेश किसी भी समय प्रवेश समिति/प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये, प्रवेश लेने से मना कर सकते हैं।
8. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य महाविद्यालय से उत्तीर्ण/स्थानान्तरित अभ्यर्थियों का प्रवेश दोनों महाविद्यालय के प्राचार्यों सहमति के बिना नहीं होगा। परन्तु सम्बन्धित जनपद के किसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण/स्थानान्तरित अभ्यर्थी का प्रवेश उसी जनपद के दूसरे महाविद्यालय में किसी भी दशा में नहीं होगा।

• • •

प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण

प्रवेशार्थियों हेतु महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. इस विवरण पत्रिका को ध्यान से पढ़ें तथा इसमें वर्णित विभिन्न नियमों का पालन करें।
2. समस्त प्रवेश महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी नियमावली के आधार पर किये जायेंगे। अतः अभ्यर्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली का आधार पर प्रवेश आवेदन-पत्र साफ-साफ भरकर प्रस्तुत करें।
3. नवीन प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र एवं अन्य पत्र संलग्न करेंगे–

(क) मूल प्रति

1. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
2. प्रवास प्रमाण-पत्र।

(ख) सत्यापित फोटो प्रतिलिपियाँ

1. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र।
2. चरित्र प्रमाण-पत्र जिस संस्था में प्रवेशार्थी विगत सत्र में पढ़चुका है, उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त।
3. हाईस्कूल और उसके उपरान्त जो भी परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, सभी की अंक तालिकाएँ।
4. यदि प्रवेशार्थी राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी है तो तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
5. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का है तो तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण-पत्र।
6. आधार कार्ड।

(ग) अन्य पत्र

1. साक्षात्कार सूचना कार्ड।
2. चरित्र सम्बन्धी विवरण-पत्र।

3. प्रत्येक कक्षा में ऐसे प्रवेशार्थी जिनको नवीन प्रवेशार्थी की संज्ञा दी गयी है, अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाकर एक प्रति अपने प्रवेश आवेदन-पत्र पर यथास्थान चिपका दें तथा प्रवेश स्वीकार किये जाने पर दूसरी प्रति परिचय-पत्र पर यथास्थान चिपका दें।
4. यदि प्रवेशार्थी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट विभाग में सेवारत है तो उसे स्व-विभागीय सर्वोच्च पदाधिकारी के अनुमति-पत्र की मूल प्रति प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी चाहिए। ऐसा न करने और बाद में पता चलने पर कि अभ्यर्थी सेवारत है, प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इसकी सूचना उसके पदाधिकारी को दे दी जायेगी।
5. प्रवेश आवेदन-पत्र में आवश्यक प्रविष्टियाँ भरने और आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करने के उपरान्त अभ्यर्थी उसे कार्यालय में जमा करा दे। कार्यालय उन्हें प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की रसीद को अभ्यर्थी सुरक्षित रखें।
7. बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश आवेदन-पत्र महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित अन्तिम तिथि से दो दिन पूर्व तक पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। शुल्क आदि जमा करके अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पूर्ण करा लेना चाहिए। इसके उपरान्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. आवेदन-पत्र को ठीक तरह से भरने एवं प्रविष्टियाँ पूरी करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का है। अपूर्ण, अशुद्ध आवेदन-पत्र विचारणीय नहीं होंगे और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।
9. साक्षात्कार वाले दिन विद्यार्थी प्रातः 9 बजे प्रवेश अधिकारी के समक्ष एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होगा जो उसके समस्त मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करने के उपरान्त प्रवेश की संस्तुति करेंगे।
10. प्रवेश की संस्तुति होने पर कार्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपना फोटो लगा हुआ पूरित परिचय-पत्र अनुशासन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करायेगा।
11. कॉलेज की किसी भी कक्षा में प्रवेश देने अथवा न देने तथा प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा एवं वह इस विषय में कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

• • •

सफलता के 10 सूत्र

- स्वामी विवेकानन्द जी

1. लक्ष्य पर डटे रहो .....
2. कर्म करो आलस्य त्यागो
3. चुनौतियों का सामना करो
4. ध्येय के प्रति पूर्ण एकाग्र रहो
5. शक्तिशाली बनो कमजोर नहीं
6. आत्मविश्वास बनाये रखो
7. गलतियों से सीखो
8. दूसरों को दोष मत दो
9. मन को उदार बनाओ
10. किसी को कष्ट मत दो

आकर्षण

- स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण वातावरण
- सुयोग्य प्राध्यापकों द्वारा उत्तम शिक्षण-प्रबन्ध
- उत्तम अनुशासन
- सभी कक्षाओं में अत्याधुनिक साउण्ड सिस्टम
- विस्तृत अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब
- अत्याधुनिक प्रयोगशाला
- खेल का विस्तृत मैदान
- सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास
- प्रतियोगी पत्र-पत्रिकाएँ अध्ययन के लिए उपलब्ध
- आधुनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय व्यवस्था एवं ई-लाईब्रेरी
- समय-समय पर विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान
- आधुनिक छात्रावास की सुविधा
- वाहन सुविधा
- कैन्टीन की सुविधा

पूर्णोदय महिला महाविद्यालय

कैम्पस :
बच्छाँव, वाराणसी । फोन : 0542-2670065

- बी.ए.
- बी.एस-सी.
- बी.कॉम.

Mobile : 7376161242 • Email : info@pmcollege.co.in • Visit us : www.pmcollege.co.in